कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 535/11सी–कन्नौज/21661/2016, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 24, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : कन्नौज में तिर्वा–बेला मार्ग (एन0एच0–234 किमी0 142 से 123 तक 4 लेन चौड़ीकरण हेतु 9.5 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2296 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/41/2017/एफ0सी0/52, दि0 19.07.2017,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–134/14–2–2017–800(8)/2017, दिनांक 01.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयांकित प्रकरण भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित त्रुटियों के निराकरण हेतु शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावों की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्रांक–907/14–1, दिनांक 23.08.2017 द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मूल प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–प्रस्ताव की दो प्रतियाँ सी.डी. सहित।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 535 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज।
3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कन्नौज।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।